भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4096
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत समितियों के विनियम

4096. श्री रुद्र नारायण पाणी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी जिलों की सभी पंचायत समितियों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रबार एक-समान नियम और विनियम विद्यमान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें विद्यमान अंतर का ब्यौरा क्या है:

(ग) देश में एक-समान पंचायती राज नियम कार्यान्वित करने में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का देश में कम से कम सभी पंचायत समितियों की बैठकों के लिए एक-समान सभागारों का निर्माण करने का विचार है ताकि समितियों के सभी सदस्य और अधिकारी तथा पत्रकार एक साथ बैठ सकें?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में संविधान के भाग-9 में निहित पंचायतों की मूल संरचना को शामिल करने के लिए प्रावधान किए हैं, जिसमें पंचायतों में समितियों का गठन करने, उनके संबंधित स्तरों के व्यवसाय का संचालन करने, उनके कार्यों को विनियमित करने, उनकी बैठकों की प्रक्रियाओं, गणपूर्ति, प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया आदि के लिए नियम/कानून भी शामिल हैं। इसलिए, पंचायत समितियों में समान नियमों और विनियमों की अवधारणा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसके द्वारा पंचायतों से संबंधित भाग-9 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, के बाद से ही मौजूद है|

हालाँकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज अधिनियमों में अपरिहार्य भिन्नताएं हैं क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने-अपने पंचायती

राज अधिनियम तैयार किए हैं।

(घ) पंचायत समितियों के लिए बैठक स्थान सहित पंचायत ढांचा उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हालाँकि, मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सीमित पैमाने पर अनुमोदित पंचायत भवन जैसी बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके ग्राम पंचायतों के कामकाज में सहयोग देने की दिशा में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता की है।

***